प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 75/ 2025)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भादूविप्रा ने संपत्तियों में डिजिटल कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए मैनुअल जारी किया

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों का आकलन करने और पूरे भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन का मार्गदर्शन करने के लिए पहला ढांचा

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज *डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग हेतु मैनुअल* जारी किया, यह देश का पहला मानकीकृत फ्रेमवर्क जो यह मूल्यांकन करता है कि इमारतें उच्च गति, विश्वसनीय डिजिटल पहुंच के लिए प्रभावी रूप से कितनी सुसज्जित हैं।

80% से अधिक मोबाइल डेटा इमारतों के अंदर खपत होता है, और 4G और 5G के उच्च आवृत्ति बैंड सिग्नल अक्सर आधुनिक भवन निर्माण सामग्री से कमजोर होते हैं, अतः काम, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और दैनिक डिजिटल सेवाओं के लिए मजबूत इन-बिल्डिंग नेटवर्क आवश्यक हो गए हैं। कमजोर इनडोर कनेक्टिविटी सीधे उपभोक्ता अनुभव और सेवा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 के तहत विकसित, मैनुअल:

- डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (DCRAs) के लिए **एक समान मूल्यांकन पद्धति** स्थापित करता है।
- संपत्ति प्रबंधकों (PM) और सेवा प्रदाताओं के लिए **भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई)** की योजना बनाने, लागू करने और बनाए रखने के लिए एक **संदर्भ ढांचे** के रूप में कार्य करता है।
- संपत्ति रेटिंग के लिए **पारदर्शी, मानकीकृत मानदंडों** को परिभाषित करता है, जिसमें फाइबर तत्परता, इन-बिल्डिंग मोबाइल कवरेज, वाई-फाई कवरेज, ब्रॉडबैंड गति और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव शामिल है।
- **खरीदारों, किरायेदारों और व्यवसायों** को वास्तविक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदर्शन के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- **डेवलपर्स** को **डिजाइन और निर्माण चरण** से ही मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भादूविप्रा अध्यक्ष का उद्धरण

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री **अनिल कुमार लाहोटी** ने बताया की, "21 वीं सदी में, डिजिटल कनेक्टिविटी एक लक्ज़री नहीं है - यह बिजली या पानी की तरह ही आवश्यक बुनियादी जरुरत है। आज, यह विकास, नवाचार और अवसर को शक्ति प्रदान करता है। यह फ्रेमवर्क भारत में हर इमारत को डिजिटल इंडिया विजन के लिए तैयार करने, अधिक नागरिकों को हमारी कनेक्टेड अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने और समावेशी राष्ट्रीय विकास की नींव रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

पिछले एक दशक में, भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन से गुजरा है, जिसने नागरिकों के काम करने, सीखने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने और सार्वजनिक सेवाओं के साथ जुड़ने के तरीके को नया रूप दिया है। विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना अब आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक कल्याण का आधार है । अधिकांश डेटा का उपयोग इमारतों के अंदर होने के कारण, मजबूत इन-बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है।

इस समस्या के समाधान के लिए, भादूविप्रा ने 25 अक्टूबर *2024 को डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग* को अधिसूचित किया, जिससे डीसीआई के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत, सहयोगी ढांचा स्थापित किया गया। सार्वजनिक परामर्श के लिए 13 मई 2025 को जारी डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए *मसौदा मैनुअल* पर चौदह हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रया प्रदान की - जिसमें सेवा प्रदाता, बुनियादी ढांचा प्रदाता, उपभोक्ता संगठन और संभावित डीसीआरए शामिल हैं - एक उपभोक्ता संगठन ने जवाबी टिपण्णी भी प्रस्तुत कीं। इस मैनुअल में परिष्कृत परिभाषाएं, स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड शामिल हैं, और टिप्पणियों और जवाबी टिपण्णी पर उचित विचार के साथ राष्ट्रव्यापी निष्पक्ष, विश्वसनीय और सुसंगत रेटिंग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को मजबूत किया गया है। टिप्पणियों और प्रतिटिप्पणियों का विश्लेषण त्वरित संदर्भ के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मैनुअल पर प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें:
श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-I), भादूविप्रा
ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in | दूरभाष: **+91-11-20907759**

13/8/25
(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा
www.trai.gov.in